पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर (राज)

(श्री कल्याण राजकीय महाविद्यालय के पीछे, सीकर–332001)

टेलीफोन नं. 01572–272100, 273100, 273200 टेलीफेक्स 01572–273100

वेबसाईट: www.shekhauni.ac.in ई–मेल: reg.shekhauni@gmail.com

क्रमांकः– प–10 ( )संस्थापन / प्रबंध बोर्ड / 2013–14 / 7638 दिनांकः–28.03.2018

प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 28.03.2018 का कार्यवाही विवरण

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 28.03.2018 को कुलपति सचिवालय में प्रातः 11:00 बजे आयोजित की गई, जिसमें उपस्थिति इस प्रकार रहीः–

1.	प्रो. बी.एल. शर्मा	अध्यक्ष (माननीय कुलपति)
2.	डॉ. मदन सिंह पूनिया	मा. सदस्य (प्रतिनिधि, अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा एवं प्राचार्य एस. के. कन्या महाविद्यालय, सीकर)
3.	डॉ. सोमकांत भोजक	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
4.	डॉ. राजेश कुमार शर्मा	मा. सदस्य (मा. कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य)
5.	डॉ. ए. के. गुप्ता	मा. सदस्य (प्रख्यात शिक्षाविद)
6.	डॉ. दिलसुख थालौड़	मा. सदस्य (डीन विधि)
7.	डॉ. राकेश कुमार	मा. सदस्य (डीन शिक्षा)
8.	डॉ. राजेन्द्र सिंह	सदस्य सचिव (कुलसचिव)

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय द्वारा सभी सदस्यों का स्वागत किया गया। तत्पश्चात कुलसचिव द्वारा बिन्दुवार मिटिंग के एजेण्डा प्रस्तुत किये गये जिस पर सर्वसम्मति से विचार कर निम्नानुसार निर्णय लिये जाते हैः

एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: गत बैठक दिनांक 06.01.2018 के कार्यवृत का अनुमोदन। ***(प्राधिकार मण्डल शाखा)***

निर्णयः– सर्वानुमति से दिनांक 06.01.2018 की प्रबंध मण्डल की बैठक की कार्यवाही को मय प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.2018 की अनुपालना रिपोर्ट के साथ अनुमोदित किया जाता है। इस संदर्भ में अनुपालना रिपोर्ट के निम्न एजेण्डा बिन्दुओं पर प्राप्त प्रतिवेदन, ऑर्डिनेन्सेज, रेग्युलेशनस, इत्यादि संलग्न अन्य अनुपालना बिन्दुओं के साथ अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदित बिन्दुओं में मुख्य निम्न प्रकार से हैः

1.1 दिनांक 06.01.2018 को प्रबंध मण्डल की बैठक के एजेण्डा बिन्दु 02 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अध्यादेशों पर मांगे गये सुझावों के निर्णय के संदर्भ में विश्वविद्यालय के पत्रांक 7434 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट / पब्लिक डोमेन में सुझावों हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30.01.2018 तक (21 दिवस) सुझाव मांगे गये। सुझाव आने के पश्चात डॉ. एम. एस. पूनिया ऑर्डिनेन्स समिति का गठन कार्यालय के आदेशांक 7486 दिनांक 01.02.2018 के द्वारा कर ऑर्डिनेन्स समिति की बैठक दिनांक 03.02.2018 को आयोजित की गई। समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार अध्यादेशों में तत्संबंधी सुधार / संशोधन कर दिये गये हैं, जिन्हें स्वीकार कर निम्न संलग्नक 01 एवं 02 के प्रारूप के साथ अनुमोदित किया जाता है।

(संलग्नक–1: समिति गठन का आदेश एवं समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन)

(संलग्नक–2: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय के अध्यादेशों का संशोधित प्रारूप–वास्ते अनुमोदनार्थ)

1.2 दिनांक 06.01.2018 को प्रबंध मण्डल की बैठक के एजेण्डा बिन्दु 03 के संदर्भ में विश्वविद्यालय के अध्यादेशों पर मांगे गये सुझावों के निर्णय के संदर्भ में इस विश्वविद्यालय के पत्रांक 7434 दिनांक 09.01.2018 के द्वारा विश्वविद्यालय के रेग्यश्ुलेशनस के प्रारूप विश्वविद्यालय की वेबसाईट/पब्लिक डोमेन में सुझावों हेतु प्रस्तुत किया गया। दिनांक 30.01.2018 तक (21 दिवस) सुझाव मांगे गये। जिनमें कोई भी सुझाव नहीं आये। अतः पूर्व स्वरूप में ही रेग्युलेशनस जो संलग्नक 3–7 संदर्भ के साथ संलग्न है, को स्वीकार कर निम्न शीर्षकों के साथ अनुमोदित किया जाता है।

(संलग्नक–3: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Board of Management Regulations, 2018)

(संलग्नक–4: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Academic Council Regulations, 2018)

(संलग्नक–5: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Finance Committee Regulations, 2018)

(संलग्नक–6: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Faculties Regulations, 2018)

(संलग्नक–7: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Rules for the Conduct of Selection Committee Regulations, 2018)

1.3 दिनांक 06.01.2018 को प्रबंध मण्डल की बैठक के पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01–08 के संदर्भ में मूल प्रस्तावानुसार विश्वविद्यालय में सात स्नातकोत्तर विभाग एवं जीवन विज्ञान विषय में प्राणी शास्त्र एवं वनस्पति शास्त्र तथा भारतीय भाषाएं विभाग में हिन्दी एवं संस्कृत के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम, नियुक्तियों के संदर्भ में यू.जी. सी., रेग्युलेशन, 2018 रोस्टर पदों की संख्या को कम किये जाने के संदर्भ में, गुड एकेडमिक रिकॉर्ड, चयन की विधिक व्यवस्था, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एवं स्क्रीनिंग, आवेदन पत्रों के प्रारूप इत्यादि सभी मुद्दों पर डॉ. जी. एस. कलवानियां समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के अनुसार प्रस्तुत संशोधित प्रतिवेदन को पूर्णतः संलग्न अनुपालना रिपोर्ट के संलग्नक 8 के स्वरूप में एवं इसी समिति द्वारा संलग्नक 09 के रूप में प्रस्तावित Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018 को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

1.4 दिनांक 06.01.2018 को प्रबंध मण्डल की बैठक में अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्तुत एजेण्डा बिन्दु संख्या 04 के संदर्भ में पुनर्मूल्यांकन के संदर्भ में मुख्य परीक्षा, 2016 एवं मुख्य परीक्षा, 2017 में पुनर्मूल्यांकन हेतु प्राप्त प्रार्थना पत्रों की संख्या, अंक बढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंक घटने वाले विद्यार्थियों की संख्या, अंक में परिवर्तन नहीं होने वाले विद्यार्थियों की संख्या एवं तृतीयक परीक्षक को भेजी गई उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या के प्रमाणित डाटा प्राप्त हुए हैं, इससे स्पष्ट है कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने वाले सभी शत प्रतिशत विद्यार्थियों के पुनर्मूल्यांकन में अंक बढ़ने की सूचना तथ्यहीन हैं तथा यह सूचना भी तथ्यहीन है कि विश्वविद्यालय ने किसी भी विद्यार्थी की उत्तर–पुस्तिका तृतीय परीक्षक के पास मूल्यांकन हेतु नहीं भेजी है। प्राप्त डाटा को ध्यान में रखते हुए डॉ. आर. एल. मिश्रा समिति की औचित्यता नहीं रहने के कारण इस समिति को विड्रॉ किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: वित्त समिति की बैठक दिनांक 12.02.2018 के निम्नांकित निर्णयों का अनुमोदनः (प्राधिकार मण्डल शाखा)

(i) **वित्त समिति एजेण्डा आईटम नंबर– 1. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 की चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित बैलेंस सीट का अनुमोदन**

वित्त समिति का निर्णयः सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय के बैलेन्स का अनुमोदन किया जाता है।

(संलग्नक–08: विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2015–16 की प्रमाणित एवं अनुमोदित बैलेन्स शीट)
(संलग्नक–09: विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2016–17 की प्रमाणित एवं अनुमोदित बैलेन्स शीट)

प्रबंध मण्डल का निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2015–16 एवं 2016–17 के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट द्वारा प्रमाणित विश्वविद्यालय के बैलेन्स के वित्त समिति द्वारा किये गये अनुमोदन को **संलग्नक–08 विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2015–16 की प्रमाणित एवं अनुमोदित बैलेन्स शीट एवं संलग्नक–09 विश्वविद्यालय की वित्त वर्ष 2016–17 की प्रमाणित एवं अनुमोदित बैलेन्स शीट** स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

(ii) **वित्त समिति एजेण्डा आईटम नंबर– 2. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2017–18 के संभावित बजट में किये गये वास्तविक व्यय एवं व्यय उपरान्त व्यय आधारित संशोधित बजट का अनुमोदन।**

वित्त समिति का निर्णयः सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के वित्त वर्ष 2017–18 में किये गये वास्तविक व्यय एवं व्यय उपरान्त व्यय आधारित संशोधित बजट को अनुमोदित किया जाता है।

(संलग्नक–10: विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2017–18 के संभावित बजट से किये गये वास्तविक व्यय एवं व्यय उपरान्त व्यय आधारित संशोधित बजट)

प्रबंध मण्डल का निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय सीकर के वित्त वर्ष 2017–18 में किये गये वास्तविक व्यय एवं व्यय उपरान्त व्यय आधारित संशोधित बजट को **संलग्नक–10: विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2017–18 के संभावित बजट से किये गये वास्तविक व्यय एवं व्यय उपरान्त व्यय आधारित संशोधित बजट** के रूप में स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

(iii) **वित्त समिति एजेण्डा आईटम नंबर– 3. पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट पर चर्चा एवं अनुमोदन।**

वित्त समिति का निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट को वित्त समिति द्वारा सुझाये गये सुझावों के साथ अनुमोदित किया गया।

(संलग्नक–11: विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2018–19 का अनुमानित बजट)

प्रबंध मण्डल का निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2018–19 के अनुमानित बजट को वित्त समिति द्वारा सुझाये गये सुझावों के साथ **संलग्नक–11: विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2018–19 का अनुमानित बजट** के रूप में स्वीकार कर अनुमोदित किया गया।

(iv) **वित्त समिति एजेण्डा आईटम नंबर– 5 पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति पर चर्चा।**

वित्त समिति का निर्णयः सर्वानुमति से अंकेक्षण वर्ष 2018–19 हेतु योग्य चार्टड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है।

प्रबंध मण्डल का निर्णयः सर्वानुमति से अंकेक्षण वर्ष 2018–19 हेतु योग्य चार्टड एकाउण्टेन्ट की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत करने के निर्णय को अनुमोदित किया जाता है।

(v) **वित्त समिति एजेण्डा आईटम नंबर– 6** **(अध्यक्ष की अनुमति से अन्य बिन्दु 02)**

पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के लिए प्रस्तावित कटराथल परिसर के विकास, मास्टर प्लान बनाने एवं विश्वविद्यालय को व्यवहार में कार्यन्वित करने हेतु भवन निर्माण के लिए विश्वविद्यालय की निजी आय से वित्तीय प्रावधान प्रदान करने हेतु।

सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के विकास हेतु वित्त समिति के निर्णय के द्वारा अनुमोदित निम्नांकित कार्यों के लिए विश्वविद्यालय की निजी आय से वित्तीय प्रावधान करके निर्माण करवाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है:

(i) विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर हेतु मास्टर प्लान तैयार करवाना।

(ii) विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर निम्नांकित भवनों का निर्माण करवाने हेतु वित्तीय प्रावधान

(अ.) विश्वविद्यालय के लिए पुस्तकालय के भवन का निर्माण (साउथ ब्लॉक)।

(ब.)विश्वविद्यालय के अकादमिक एवं कॉनक्लेव भवन का निर्माण (नॉर्थ ब्लॉक)

(स.) विश्वविद्यालय के लिए पांच स्नातकोत्तर शैक्षणिक विभागों का निर्माण।

नोटः 1. यदि राज्य सरकार द्वारा उक्त संसाधनों हेतु भविष्य में बजटीय प्रावधान किये जाते हैं, तो प्राप्य धन को विश्वविद्यालय द्वारा किये गये बजटीय प्रावधानों में समायोजित कर दिया जायेगा। अन्यथा यह खर्च विश्वविद्यालय के निजी आय से ही किया जायेगा तथा चूंकि यह निजी आय से खर्च है, अतः राज्य सरकार से अनुमति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी इस निर्णय की सूचना से राज्य सरकार को अवगत करा दिया जायेगा। **(विश्वविद्यालय संपदा विभाग एवं वित्त विभाग)**

2. विश्वविद्यालय में पांच स्नातकोत्तर भवनों को वर्तमान में एकेडमिक ब्लॉक में चलाया जाये, अतः इसके स्थान पर विश्वविद्यालय की निजी आय से वर्तमान में कुलपति निवास के निर्माण को स्वीकृत किये जाने का निर्णय किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: बिल्डिंग कमेटी की बैठक दिनांक 27.02.2018 के निम्नांकित एजेण्डा का अनुमोदनः (विश्वविद्यालय संपदा शाखा एवं वित्त विभाग)

(i) **विश्वविद्यालय के लिए कटराथल परिसर पर वर्तमान में आवंटित भूमि के मास्टर प्लान के संदर्भ में चर्चा एवं निर्णय।**

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के लिए कटराथल परिसर पर वर्तमान में आवंटित भूमि के मास्टर प्लान के संदर्भ में चर्चा कर प्रस्तावित मास्टर प्लान को अनुमोदित किया जाता है।

(ii) **विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर वर्तमान में आवंटित भूमि पर निम्न प्राथमिकता से भवन निर्माण कार्य करने हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने के संदर्भ में चर्चा।**

(अ.) विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन का निर्माण (साउथ ब्लॉक)।

(ब.) विश्वविद्यालय के लिए एकेडमिक एवं कॉनक्लेव के भवन का निर्माण (नॉर्थ ब्लॉक)।
(स.) विश्वविद्यालय में कुलपति एवं कुलसचिव आवास के भवनों का निर्माण।
(द.) विश्वविद्यालय के विभिन्न शैक्षणिक विभागों का निर्माण।
(य.) विश्वविद्यालय के लिए एकीकृत स्थल पर जन उपयोगी केन्द्रीय सुविधाओं के भवनों का निर्माण।
(र.) विश्वविद्यालय के लिए अतिथि गृह का निर्माण।
(ल.) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं शिक्षकों के आवास का निर्माण।
(व.) विश्वविद्यालय के सह–शैक्षिक गतिविधियों हेतु भवनों एवं मैदानों का निर्माण एवं विकास।
(श.) विश्वविद्यालय के लिए डिसपेन्सरी के भवन का निर्माण।

नोटः प्रशासन को उक्त निर्माण में प्राथमिकताओं में परिवर्तन करने के अधिकार पर विचार।

निर्णयः सर्वानुमति से एजेण्डा संख्या 05 हेतु एजेण्ड में संलग्न निर्माण को संलग्न प्राथमिकता के अनुसार स्वीकार किया गया तथा यह भी तय किया गया कि विश्वविद्यालय प्रशासन उक्त प्राथमिकता में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करने के लिए अधिकृत होगा।

नोटः नॉर्थ ब्लॉक व साउथ ब्लॉक के साथ में तीसरी प्राथमिकता कुलपति निवास के निर्माण को दी जाये। **(विश्वविद्यालय संपदा विभाग एवं वित्त विभाग)**

(iii) **विश्वविद्यालय के लिए केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन के निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं वित्तीय प्रावधान करने पर विचारः इस संदर्भ में वित्त समिति के निर्णय के अनुमोदन।**

निर्णयः सर्वानुमति से अनुमोदन किया जाता है कि विश्वविद्यालय के केन्द्रीय पुस्तकालय के भवन के निर्माण हेतु (विश्वविद्यालय साउथ ब्लॉक) प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये एवं पूर्व में अधिकृत एजेन्सी आरएसआरडीसी से एजेन्सी के रूप में निर्माण प्रक्रिया निष्पादित करवाई जाये तथा पूर्व में नियुक्त आर्किटेक्ट से डिजायन नक्शे के आधार पर निर्माण किया जाये। तदानुसार संलग्न नक्शे को अनुमोदित किया जाता है तथा इस भवन के लिए वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से किये जाने का निर्णय किया जाता है।

नोटः 1. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से शिक्षण कार्य प्रस्तावित है, अतः अन्य संसाधन से बजट प्रावधान मिलने की संभावना निकट भविष्य में नहीं होने के कारण प्रस्तुत भवन के लिए वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय के किये जाने की अनुशंषा की गई।

2. चूंकि यह भवन निर्माण विश्वविद्यालय की निजी आय से किया जाना स्वीकार किया गया है, अतः इस संदर्भ में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उक्त निर्माण को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की सूचना से राज्य सरकार को अवगत करवा दिया जायेगा। **(विश्वविद्यालय संपदा विभाग एवं वित्त विभाग)**

(iv) **विश्वविद्यालय के लिए एकेडमिक एवं कॉनक्लेव ब्लॉक के भवन के निर्माण (नॉर्थ ब्लॉक) हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ करने एवं वित्तीय प्रावधान करने पर. विचारः इस संदर्भ में वित्त समिति के निर्णय के अनुमोदन।**

निर्णयः सर्वानुमति से अनुमोदन किया जाता है कि विश्वविद्यालय के एकेडमिक एवं कॉनक्लेव ब्लॉक के भवन के निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये एवं पूर्व में अधिकृत एजेन्सी आरएसआरडीसी से एजेन्सी के रूप में निर्माण प्रक्रिया निष्पादित करवाई जाये तथा पूर्व में नियुक्त आर्किटेक्ट से डिजायन नक्शे के आधार पर निर्माण किया जाये। तदानुसार

संलग्न नक्शे को अनुमोदित किया जाता है तथा इस भवन के लिए वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से किया जाये।

नोटः 1. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से शिक्षण कार्य प्रस्तावित है, अतः अन्य संसाधन से बजट प्रावधान मिलने की संभावना निकट भविष्य में नहीं होने के कारण प्रस्तुत भवन के लिए वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय के किये जाने की अनुशंषा की गई।

2. चूंकि यह भवन निर्माण विश्वविद्यालय की निजी आय से किया जाना स्वीकार किया गया है, अतः इस संदर्भ में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उक्त निर्माण को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की सूचना से राज्य सरकार को अवगत करवा दिया जायेगा।

(v) **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेन्डा बिन्दु।**

(i) विश्वविद्यालय में कुलपति, कुलसचिव आवास एवं विश्वविद्यालय के अतिथि गृह के भवनों का निर्माण।

निर्णयः सर्वानुमति से अनुमोदन किया जाता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति, कुलसचिव एवं अतिथि गृह के भवनों के निर्माण हेतु प्रक्रिया प्रारम्भ की जाये एवं पूर्व में अधिकृत एजेन्सी आरएसआरडीसी से एजेन्सी के रूप में निर्माण प्रक्रिया निष्पादित करवाई जाये तथा पूर्व में नियुक्त आर्किटेक्ट से डिजायन नक्शे के आधार पर निर्माण किया जाये। तदानुसार संलग्न नक्शे को अनुमोदित किया जाता है तथा इस भवन के लिए वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय से किया जाये। परन्तु इन तीन भवनों में से निर्माण की प्रथम प्राथमिकता कुलपति निवास के निर्माण को प्रदान की जाये।

नोटः 1. विश्वविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2018–19 से शिक्षण कार्य प्रस्तावित है, अतः अन्य संसाधन से बजट प्रावधान मिलने की संभावना निकट भविष्य में नहीं होने के कारण प्रस्तुत भवन के लिए वित्तीय प्रावधान विश्वविद्यालय की निजी आय के किये जाने की अनुशंषा की गई।

2. चूंकि यह भवन निर्माण विश्वविद्यालय की निजी आय से किया जाना स्वीकार किया गया है, अतः इस संदर्भ में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, फिर भी उक्त निर्माण को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने की सूचना से राज्य सरकार को अवगत करवा दिया जायेगा।

(संलग्नक 12: भवन निर्माण समिति की बैठक दिनांक 27.02.2018 का कार्यवृत)

एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: डॉ. जी.एस. कलवानियां समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा एवं अनुमोदन।

निर्णयः चयन एवं चयन की प्रक्रिया के संदर्भ में डॉ. जी.एस. कलवानियां समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018 के पूरे प्रतिवेदन को मय **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018** को अनुमोदित कर स्वीकार किया जाता है।

(संलग्नक 13: डॉ. जी.एस. कलवानिया समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन)

(संलग्नक 14: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018)

टेबल एजेण्डाः

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 01: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.01.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 के निर्णय के अनुक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेशों के संशोधित स्वरूप का अनुमोदन। ***(विश्वविद्यालय प्राधिकार विभाग)***
(अनुपालना संलग्नक संख्या 02: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेश का प्रारूप)

निर्णयः सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.01.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 02 के निर्णय के अनुक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर अध्यादेशों के संशोधित स्वरूप को निम्न सब एजेण्डा एवं प्रारूपानुसार स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है:

TABLE AGENDA NO.-1 OF THE PROPOSED UNIVERSITY ORDINANCES UNDER SECTION 44 & 45 OF THE ACT HELD ON 28.03.2017 (EARLIER DISCUSSED VIDE AGENDA NO. 02 OF THE MEETING OF THE BOARD OF MANAGEMENT ON 06.01.2018)
(प्राधिकार मण्डल शाखा)

Board of Management Table Agenda No.	Part	Proposed Ordinances	
		Ordinance No.	Proposed Chapter and Contents
1.1	Part I- Admission of Students in University and Colleges	1-25	1.1 Admission of Students
1.2		26	1.2 Maximum Duration to pass any academic programme/ course including clearance of Backlog Papers/Courses
1.3		27-37	1.3 Enrolment and Migration of Students
1.4		38-40	1.4 Fee Structure and Freeship
1.5		41-70	1.5 Examination and Attendance to Keep Academic Term and appear in Examination
1.6		71-92	1.6 Non Regular Students: Ex-Student and Non-Collegiate Students
1.7		93-103	1.7 Supplementary Examination
1.8	Part-II Research Study: M.Phil./Ph.D./D.Litt./ D.Sc./ LL.D.	104-115	1.8 M.Phil. and Ph.D. Ordinances
1.9		116-130	1.9 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Arts and Social Science: D.Litt.
1.10		131-148	1.10 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Science: D.Sc.
1.11		149-164	1.11 Ordinances Relating to the Post Doctorate Degree in Law: LL.D.
1.12	Part-III Remuneration	165-169	1.12 Remuneration to Examiners, Tabulators, Checkers etc.
1.13	Part-IV Degree and Diploma: Convocation, Medals and Prizes	170-171	1.13 Degree and Diploma
1.14		172-186	1.14 Convocation
1.15		187-205	1.15 Medals and Prizes
1.16	Part-V Scholarship, Endowments and Prizes	206-222	1.16 Scholarship
1.17		223-225	1.17 Conditions for accepting Endowments or Scholarships, Medal and Prizes etc.
1.18	Part-VI Services to Nation	226-232	1.18 N.C.C./N.S.S./Rover Range Training
1.19	Part-VII Recruitment and Conditions of Service	233-239	1.19 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff
1.20		240-283	1.20 Recruitment and Conditions of Service of the Teaching Staff: General Terms and Conditions
1.21		284-285	1.21 Promotion: Career Advancement Scheme for Teachers

1.22		286	1.22 College Principal
1.23		287	1.23 Recruitment and Conditions of Service of the Non-Teaching Staff
1.24		288-289	1.24 Recruitment: Selection Committee for Teachers, Officers and other for Direct Recruitment
1.25		290-293	1.25 Promotion for Non-Teaching Staff
1.26		294-298	1.26 Seniority and Other Service Benefits
1.27		299-300	1.27 Leave
1.28		301-319	1.28 Travelling and Halting/Daily Allowances
1.29		320	1.29 Medical Attendance Rules
1.30	Part-VIII Conditions of Admission of Institutions	321	1.30 Conditions of Admission of Institutions
1.31	Part-IX University Boards	322	1.31 University Boards: Empowering Clause
1.32		323	1.32 Health, Discipline and Residence Board
1.33		324	1.33 Board of Extra Mural Study
1.34		325	1.34 Board for Hostels
1.35		326	1.35 Sports Board
1.36		327	1.36 University Planning and Monitoring Board
1.37		328	1.37 Publication Board
1.38		329	1.38 Library Board
1.39		330	1.39 Admission Board
1.40		331	1.40 Translation Board

नोटः पूर्व में प्रस्तावित अध्यादेश पर चर्चा प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.18 के एजेण्डा संख्या 2.1 से 2.40 के अन्तर्गत की गई थी तथा उक्त बैठक के निर्णयानुसार प्रस्तावित अध्यादेशों को पब्लिक डोमेन में डालने का निर्णय लिया गया तथा पब्लिक डोमेन से प्राप्त सुझावों एवं नये डवलपमेन्टस को ध्यान में रखते हुए प्रबंध मण्डल की बैठक में गठित डॉ. एम. एस. पूनिया कमेटी ने इन अध्यादेशों का संशोधित स्वरूप प्रस्तावित किया गया, जिसे प्रबंध मण्डल की 28.03.2018 की बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन के एजेण्डा संख्या 02 के द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर अनुमोदित भी किया गया है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 02: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.01.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 03 के निर्णय के अनुक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर रेग्युलेशनस के स्वरूप का अनुमोदन। *(विश्वविद्यालय प्राधिकार विभाग)*

(संलग्नक–3: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Board of Management Regulations, 2018)

(संलग्नक–4: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Academic Council Regulations, 2018)

(संलग्नक–5: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Finance Committee Regulations, 2018)

(संलग्नक–6: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Faculties Regulations, 2018)

(संलग्नक–7: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Rules for the Conduct of Selection Committee Regulations, 2018)

नोटः अनुपालना संलग्नक 3–7 तक पूर्व बैठक के एजेण्डा में सभी माननीय सदस्यों को उपलब्ध करवा दिये गये हैं।

निर्णयः सर्वानुमति से **पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.01.2018 के एजेण्डा बिन्दु संख्या 03 के निर्णय के अनुक्रम में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के निम्नांकित रेग्युलेशनस को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है:**

1. **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Board of Management Regulations, 2018**
2. **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Academic Council Regulations, 2018**
3. **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Finance Committee Regulations, 2018**
4. **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Meetings of the Faculties Regulations, 2018**
5. **Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University Rules for the Conduct of Selection Committee Regulations, 2018**

नोटः पूर्व में प्रस्तावित रेग्युलेशन पर चर्चा प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.01.18 के एजेण्डा संख्या 03 के अन्तर्गत की गई थी तथा उक्त बैठक के निर्णयानुसार प्रस्तावित अध्यादेशों को पब्लिक डोमेन में डालने का निर्णय लिया गया तथा पब्लिक डोमेन से कोई भी सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है। प्रबंध मण्डल की बैठक में गठित डॉ. एम. एस. पूनिया कमेटी ने इन रेग्युलेशन को मूल स्वरूप में ही प्रस्तावित किया गया, जिसे प्रबंध मण्डल की 28.03. 2018 की बैठक के अनुपालना प्रतिवेदन के एजेण्डा संख्या 03 के द्वारा अनुमोदनार्थ प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकार कर अनुमोदित भी किया गया है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 03: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.01.2018 के पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01–08 के निर्णय के अनुक्रम में Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018 के स्वरूप का अनुमोदन। ***(विश्वविद्यालय प्राधिकार एवं स्थापना विभाग)***

(संलग्नक–14: Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018)

निर्णयः पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर की प्रबंध मण्डल की गत बैठक दिनांक 06.01. 2018 के पूरक एजेण्डा बिन्दु संख्या 01–08 के निर्णय के अनुक्रम में Pandit Deendayal Upadhyaya Shekhawati University (Recruitment and Paper Pattern) Regulations, 2018 के प्रस्तावित स्वरूप को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है। (डॉ. जी. एस. कलवानिया कमेटी द्वारा प्रस्तुत संशोधित प्रतिवेदन जिसे अनुपालना पूरक एजेण्डा संख्या 01–08 के क्रम में स्वीकार किया गया है।)

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 04: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा अन्य किसी बैंक की शाखा प्रारम्भ करने पर चर्चा। ***(वित्त एवं संपदा विभाग)***

निर्णयः सर्वसम्मति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा अन्य किसी बैंक की शाखा से चर्चा कर कटराथल परिसर पर उक्त बैंक की शाखा खोलने एवं कॉमन फैसिलिटिज के भवनों के निर्माण हेतु उक्त बैंक से ऋण लेने तथा ऋण की शर्तों को तय करने हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा अन्य बैंक से ऋण लेकर केन्द्रीय सुविधाओं (इन सुविधाओं में बैंक की शाखा के भवन, तीन से पांच तक दुकानें, कैन्टीन, संग्रहण एवं वेलीडेशन सेंटर आदि का समावेश) का निर्माण करने के संबंध में चर्चा। ***(वित्त एवं संपदा विभाग)***

नोटः बैंक का ऋण बैंक द्वारा विश्वविद्यालय को दिये जाने वाले किराये से भुगतान किये जाने का प्रस्ताव है, जब तक बैंक के ऋण का भुगतान नहीं होता है, तब तक बैंक विश्वविद्यालय को किराये की राशि न जमा करवाकर के ऋण के विरूद्ध समायोजित किया जायेगा। पूरे ऋण के भुगतान के बाद बैंक किराये की राशि विश्वविद्यालय को हस्तान्तरित करना प्रारम्भ करेगा।

152

निर्णयः सर्वानुमति से पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कटराथल परिसर पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अथवा अन्य बैंक से ऋण लेकर केन्द्रीय सुविधाओं (इन सुविधाओं में बैंक की शाखा के भवन, तीन से पांच तक दुकानें, कैन्टीन, संग्रहण एवं वेलीडेशन सेंटर आदि का समावेश) का निर्माण करने हेतु एजेण्डा के नोट में संलग्न शर्तों एवं व्यवस्था हेतु विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है तथा यदि उक्त शर्तानुसार एम.ओ.यू. होता है तो निर्माण कार्य आरएसआरडीसी एवं पूर्व नियुक्त आर्किटेक्ट के माध्यम से करवाने हेतु प्रक्रिया निष्पादित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रशासन को अधिकृत किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 06: विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कार्यालयीन कार्य के लिए विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंदर अथवा क्षेत्राधिकार के बाहर विश्वविद्यालयक के वाहन से यात्रा की जाती है, तो उस यात्रा को अनुमत किया जाता है। इसके लिए किसी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

नोटः विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंदर अथवा बाहर कार्यालयीन कार्य के लिए कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के वाहन से यात्रा की जाती है तो राज्य के किसी भी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति जी अथवा अन्य अधिकारी से अनुमति लेने की परम्परा/नियम नहीं है। सभी कुलपति मात्र कुलाधिपति जी से अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की अनुमति लेकर के ही यात्राएं करते हैं। इस संदर्भ में पूर्व में विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा जो भी यात्राएं की गयी थी, उन्हें कार्योत्तर अनुमत किये जाने का प्रस्ताव।

निर्णयः सर्वानुमति से **विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा कार्यालयीन कार्य के लिए विश्वविद्यालय के क्षेत्राधिकार के अंदर अथवा क्षेत्राधिकार के बाहर विश्वविद्यालय के वाहन से यात्रा की जाती है, तो उन सभी यात्राओं को करने के लिए प्रबंध मण्डल द्वारा स्थायी पूर्व अनुमति प्रदान की जाती है। इसके लिए अन्य किसी भी अधिकारी की अनुमति की आवश्यकता अन्य विश्वविद्यालयों की भांति ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर के कुलपति के लिए नहीं है।** ***(वित्त एवं संपदा विभाग)***

यह भी निर्णय लिया जाता है कि पूर्व में विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा यदि ऐसी यात्राएं की गई हैं, तो उन सभी यात्राओं को प्रबंध मण्डल द्वारा कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 07: आडिट पैरा नम्बर 12/2012 से 2016 विश्वविद्यालय द्वारा देरी से स्वयं द्वारा जमा कराने पर पेनल्टी व ब्याज की राशि रू. 16320/– का भुगतान के संबंध पर चर्चा।

नोटः– आयकर की कटौती टी.डी.एस. को जमा कराने हेतु श्री प्रदीप परिहार आयकर सलाहकार, सीकर को आयकर विभाग में जमा कराने हेतु ऑनलाइन किये जाने हेतु रू. 8.99 लाख का भुगतान किया है जो कि आयकर जमा करा दिया गया है। विश्वविद्यालय द्वारा देरी से स्वयं द्वारा जमा कराने पर पेनल्टी व ब्याज की राशि रू. 16320/– का भुगतान व आय कर विभाग में जमा करा दिया गया है। तत्कालीन कुलसचिव श्री शमसुद्दीन खान सेवा निवृत हो चुके है। ***(वित्त विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से आडिट पैरा नम्बर 12/2012 से 2016 विश्वविद्यालय द्वारा देरी से स्वयं द्वारा जमा कराने पर पेनल्टी व ब्याज की राशि रू. 16320/– का भुगतान को कार्योत्तर अनुमत किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 08: आडिट पैरा 18 एवं 19 में मैसर्स ए.के.सोल्यूशन, नई दिल्ली द्वारा परीक्षा लिफाफो एवं प्रपत्रों की आपूर्ति नही करने पर मैसर्स रजनी प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर से संबंधित सामग्री आदेश जारी करने पर रू. 5940/– के आधिक्य भुगतान को अनियमित माना है, के संबंध में चर्चा एवं निर्णय।*(वित्त विभाग)*

निर्णयः सर्वानुमति से आडिट पैरा 18 एवं 19 में मैसर्स ए.के.सोल्यूशन, नई दिल्ली द्वारा परीक्षा लिफाफो एवं प्रपत्रों की आपूर्ति नही करने पर मैसर्स रजनी प्रिंटिंग प्रेस, जयपुर से संबंधित सामग्री आदेश जारी करने पर रू. 5940/– के आधिक्य भुगतान को कार्य की अवश्यम्भावी आवश्यकता की प्रकृति को देखते हुए अनुमत किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 09: विश्वविद्यालय के अस्थायी भवन पर किया गया व्यय–

वर्ष 2013 से विश्वविद्यालय बालिका एवं बालक छात्रावासों के भवनों में चल रहा है। भवनों की मरम्मत, बिजली फिटिंग्स, बोरिंग व पंप आदि के लगान पर वर्ष 2017 तक 576886 रू. व्यय किये गये हैं।

ऑडिट पैरा 2012–16 527307

2012–16 49579

576886

वर्ष 2012–16 तथा वर्ष 2016–17 में ऑडिट ने व्यय को अनियमित माना है।*(वित्त विभाग)*

प्रबंध मण्डल के समक्ष स्वीकृति हेतु प्रकरण प्रस्तुत है।

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के अस्थायी भवन पर किया गया व्यय कार्य की अवश्यम्भावी आवश्यकता की प्रकृति को देखते हुए रू. 576886 के व्यय को कार्योत्तर इस शर्त के साथ अनुमत किया जाता है कि उस संदर्भ में अन्य प्रक्रियात्मक प्रक्रियानुसार निष्पादित किया गया है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 10: बकाया ऑडिट पैरा क्रमांक 05/2012–16

प्रशासनिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति के अभाव में वाहन संख्या RJ23UA7808 की खरीद पर व्यय की गई राशि रू. 12.28 लाख को अनियमित माना गया है। प्रबंध मण्डल के समक्ष उक्त प्रकरण की कार्योत्तर स्वीकृति एवं चर्चा।*(वित्त विभाग)*

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के कुलपति के उपयोग में लाये जाने वाले वाहन संख्या RJ23UA7808 की खरीद पर व्यय की गई राशि रू. 12.28 लाख की खरीद की अवश्यम्भावी आवश्यकता की प्रकृति को देखते हुए कार्योत्तर अनुमति प्रदान की जाती है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 11: बकाया ऑडिट पैरा क्रमांक 05/2012–16

तत्कालीन माननीया कुलपति महोदया द्वारा अपनी निजी जेब से खरीदे गये मोबाईल सेट रू. 49800/– को ऑडिट ने अनियमितत व्यय माना है। प्रबंध मण्डल के समक्ष उक्त प्रकरण की कार्योत्तर स्वीकृति एवं चर्चा। *(वित्त विभाग)*

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति महोदया द्वारा खरीदे गये मोबाईल सेट रू. 49800/– को एक अवश्यम्भावी आवश्यकता मानते हुए विश्वविद्यालय की निजी आय से खरीदने को अनुमत किया जाता है।

नोटः 1. प्रत्येक विश्वविद्यालय में कुलपति को दो तक मोबाईल दिये जाते हैं, एक सामान्य प्रयोग हेतु एवं दूसरा विशेष उपयोग हेतु। मोबाईल विश्वविद्यालय खरीद कर भी दे सकता है अथवा विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी अथवा कुलपति स्वयं खरीद सकते हैं तथा यदि उसका पेड बाई मी लिखकर खरीदने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं, तो उसे कीमत का भुगतान कर दिया जाता है। उधार खरीदने पर थर्ड पार्टी के रूप में सीधे संबंधित फर्म को भी भुगतान किया जा सकता है।

2. पूर्व कुलपति महोदया ने उक्त फोन को विश्वविधालय की संपति होने के कारण पद मुक्त के समय विश्वविद्यालय के स्टोर में जमा करवा दिया है तथा विश्वविद्यालय रिकॉर्ड पर उक्त फोन को जमा दर्ज कर दिया है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 12: इस विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित महाविद्यालय जिन्होंने सत्र 2016–17, 2017–18 की सम्बद्धता चाहने हेतु सम्बद्धता शुल्क जमा करवाया था। राज्य सरकार द्वारा एन.ओ.सी. जारी नहीं करने, निरीक्षण दल एवं बी0ओ0आई0 द्वारा चाही गई सम्बद्धता की अनुशंषा नहीं करने पर महाविद्यालय को सम्बद्धता जारी नहीं की गई। महाविद्यालयों द्वारा जमा कराये गये शुल्क वापसी की मांग किये जाने पर प्रबन्ध मण्डल की आयोजित बैठक दिनांक 06.09.2017 में वापिस भुगतान किये जाने बाबत तीन सदस्यों

की समिति गठित की गई । सम्बद्धता शुल्क वापिस भुगतान किये जाने के सम्बध में गठित समिति द्वारा की गई अनुशंषाओं के कार्यवृत का अनुमोदन हेतु चर्चा। (संलग्नकः 15) ***(सम्बद्धता एवं वित्त विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से प्रबंध मण्डल की बैठक दिनांक 06.09.2017 द्वारा गठित समिति की अनुशंषाओं को स्वीकार करने का निर्णय किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 13: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों द्वारा प्राचार्य एवं स्टाफ के चयन हेतु विश्वविद्यालय प्रतिनिधि, शिक्षाविद् एवं विषय विशेषज्ञ के पैनल लगाये जाने पर इनके यात्रा भत्ता एवं वाहन किराये का भुगतान सम्बन्धित महाविद्यालयों द्वारा किया जाता था। गठित पैनल के अध्यक्षों द्वारा महाविद्यालय द्वारा यात्रा भत्ता एवं वाहन किराये का भुगतान किये जाने की उचित नहीं ठहराया एवं सुझाव दिये कि महाविद्यालय गठित पैनल पर होने वाले यात्रा भत्ता एवं वाहन किराये की राशि विश्वविद्यालय में जमा करावें एवं गठित पैनल को विश्वविद्यालय द्वारा भुगतान किया जावे। उक्त के सम्बध में विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदन उपरान्त प्राचार्य चयन समिति एवं वी.सी. नोमिनी व विषय विशेषज्ञ हेतु प्रति पेनल यात्रा भत्ता की राशि रू0 20,000/–20,000/– निर्धारित की गई जो महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय को जरिये डीडी जमा करानी होगी का अनुमोदन। (संलग्नकः 16) ***(सम्बद्धता एवं वित्त विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से विश्वविद्यालय द्वारा सक्षम स्तर पर प्राचार्य चयन समिति एवं वी.सी. नोमिनी व विषय विशेषज्ञ हेतु प्रति पैनल महाविद्यालय द्वारा निर्धारित रू. 20000–20000 प्रति पैनल के हिसाब से देय राशि को डी.डी. के जरिये जमा करवाने के निर्णय को अनुमोदित किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 14: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित महाविद्यालयों के निरीक्षण करवाये जाने हेतु पूर्व में निरीक्षण शुल्क रू0 10,000/– की राशि नियत की गई थी। वर्तमान में निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण दलों पर निरीक्षण कार्य व्यय की राशि रू0 10,000/– से अधिक की होती है जिसका विश्वविद्यालय कोष से भुगतान किया जाता है जिससे विश्वविद्यालय कोष पर अतिरिक्त भार आता है। निरीक्षण मण्डल की अनुशंषानुसार सक्षम स्तर के अनुमोदनुपरान्त निरीक्षण शुल्क की राशि सत्र 2018–19 से 10,000/– के स्थान पर 20,000/– निर्धारित की गई का अनुमोदन। (संलग्नकः 17) ***(सम्बद्धता एवं वित्त विभाग)***

निर्णयः शैक्षणिक सत्र 2018–19 से सम्बद्ध महाविद्यालयों के निरीक्षण हेतु देय शुल्क को 10000/– रू. से 20000/– रू. करने के प्रस्ताव को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 15: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित विकास टी.टी. कॉलेज, अर्जुन राम टी. टी. कॉलेज, पूराकीढाणी जिला सीकर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच करवाये जाने पर जॉच दल द्वारा बाद जॉच प्रस्तुत रिपोर्ट निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 06.03.2018 में प्रस्तुत किये जाने पर निरीक्षण मण्डल द्वारा अनुशंषा की कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच समिति की रिपोर्ट के आधार पर विकास टी.टी. कॉलेज, अर्जुन राम टी.टी. कॉलेज, पूराकीढाणी जिला सीकर के प्रभावित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा पर होने वाले खर्च का वहन संस्था द्वारा किया जावे तथा छात्रों के आने–जाने के खर्च के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा दो से तीन लाख रूपये के मध्य शास्ति लागू किये जाने की अनुशंषा की जाती है जिससे भविष्य में संस्था ऐसी लापरवाही नहीं बरते एवं ऐसी गम्भिर अनियमितता नहीं करे, इसके लिये संस्था से शपथ पत्र आवश्यक रूप से लिया जावे के अनुमोदन हेतु। (संलग्नकः 18) ***(सम्बद्धता विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से विकास टी.टी. कॉलेज, अर्जुन राम टी.टी. कॉलेज, पूराकीढाणी जिला सीकर के प्रभावित छात्रों की प्रायोगिक परीक्षा पर होने वाले खर्च का वहन संस्था द्वारा किया जावे तथा छात्रों के आने–जाने के खर्च के साथ–साथ विश्वविद्यालय द्वारा तीन लाख रूपये के शास्ति लागू किये जाने की अनुशंषा को स्वीकार किया जाता है तथा उक्त संस्था से आवश्यक शपथ पत्र लेने का भी निर्णय किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 16: विश्वविद्यालय के अधिकार क्षेत्र में संचालित नरेश कन्या महाविद्यालय सिंघानां जिला झुन्झुनू के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट निरीक्षण मण्डल की बैठक दिनांक 06.03.2018 में प्रस्तुत किये जाने पर निरीक्षण मण्डल द्वारा अनुशंषा की कि नरेश कन्या महाविद्यालय सिंघाना जिला झुन्झुनू के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जॉच कमेटी द्वारा प्रस्तुत जॉच रिपोर्ट पर निरीक्षण मण्डल द्वारा अनुशंषा की गई कि विश्वविद्यालय द्वारा गठित जॉच निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार संस्था के अन्दर पायी गई गंभीर कमियों को मद्देनजर रखते हुये उक्त संस्था को सत्र 2017–18 हेतु परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाए लेकिन छात्र हितों को देखते हुए उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर करवायी जाए एवं आगामी सत्र में इस संस्था की सम्बद्धता स्थाई रूप से समाप्त करने की अनुशंषा की जाती है व सत्र 2017–18 हेतु भी अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं की जाती है। इसके अनुमोदन हेतु एकेडमिक कॉसिल व बोर्ड आफ मैनेजमेन्ट में सम्बद्ध विषय को प्रस्तुत किया जावे के अनुमोदन हेतु। (संलग्नकः 18) ***(सम्बद्धता विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि नरेश कन्या महाविद्यालय, सिंघाना के संदर्भ में गठित जांच कमेटी की अनुशंषा के क्रम में संस्था के अन्दर पायी गई गंभीर कमियों को मद्देनजर रखते हुये उक्त संस्था को सत्र 2017–18 हेतु परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाए लेकिन छात्र हितों को देखते हुए उनकी परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित परीक्षा केन्द्र पर करवायी जाए एवं आगामी सत्र में इस संस्था की सम्बद्धता स्थाई रूप से समाप्त करने की अनुशंषा की जाती है व सत्र 2017–18 हेतु भी अस्थाई सम्बद्धता प्रदान नहीं करने के निर्णय को अनुमोदित किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 17: लक्ष्मी महिला महाविद्यालय, इस्माईलपुर पिच्चायानवा जिला झुन्झुनू के सत्र 2017–18 के निरीक्षण हेतु गठित निरीक्षण दल की महाविद्यालय के विरूद्ध रिपोर्ट प्रस्तुत की कि उक्त महाविद्यालय में कला एवं विज्ञान संकाय संचालित है, विज्ञान संकाय संचालन हेतु महाविद्यालय के पास आधार भूत व्यवस्थाऐं उपलब्ध नहीं है एव ना ही शेक्षणिक स्टाफ उपलब्ध है। प्रकरण निरीक्षण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार उक्त महाविद्यालय को एण्डोमेन्ट फण्ड की एफ.डी. जमा कराये जाने की शर्त पूर्ण करने पर केवल कला संकाय में सत्र 2017–18 की अस्थाई सम्बद्धंता जारी किये जाने की अनुशंषा की है। महाविद्यालय को विज्ञान संकाय संचालन की सत्र 2017–18 की अनुशंषा नहीं की का अनुमोदन। (संलग्नकः 18) ***(सम्बद्धता विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि लक्ष्मी महिला महाविद्यालय, इस्माईलपुर पिच्चायानवा जिला झुन्झुनू के सत्र 2017–18 के विज्ञान संकाय संचालन हेतु महाविद्यालय के पास आधार भूत व्यवस्थाऐं उपलब्ध नहीं है एव ना ही शेक्षणिक स्टाफ उपलब्ध है। प्रकरण निरीक्षण मण्डल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण दल की रिपोर्ट के अनुसार उक्त महाविद्यालय को एण्डोमेन्ट फण्ड की एफ.डी. जमा कराये जाने की शर्त पूर्ण करने पर केवल कला संकाय में सत्र 2017–18 की अस्थाई सम्बद्धंता जारी किये जाने की अनुशंषा की है। महाविद्यालय को विज्ञान संकाय संचालन की सत्र 2017–18 की अनुशंषा नहीं दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकार कर अनुमोदित किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 18: विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अभाव है। श्री प्रभात कुमार एवं श्री गणेश नारायण मिश्र के पद वर्तमान में रिक्त है, विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य के सम्यक एवं प्रभावी निष्पादन हेतु जब तक राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक श्री प्रभात कुमार एवं श्री गणेश नारायण मिश्र को पूर्व शर्तो एवं वर्तमान पद की नियुक्ति प्रकृति के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त करने के प्रशासनिक कार्यो का अनुमोदन। ***(स्थापना विभाग)***

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय में कर्मचारियों का अभाव है। श्री प्रभात कुमार एवं श्री गणेश नारायण मिश्र के पद वर्तमान में रिक्त है, विश्वविद्यालय में संबंधित कार्य के सम्यक एवं प्रभावी निष्पादन हेतु जब तक राज्य सरकार की अनुमति नहीं मिल जाती है, तब तक श्री प्रभात कुमार एवं श्री गणेश नारायण

मिश्र को पूर्व शर्तों एवं वर्तमान पद की नियुक्ति प्रकृति के अन्तर्गत अस्थायी व्यवस्था के अंतर्गत नियुक्त करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

टेबल एजेण्डा बिन्दु संख्या 19: रेक्सको से वाहन चालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी निजी एजेन्सी से वाहन चालक नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय में नियमित कार्मिक की नियुक्ति नहीं होने तक निजी एजेन्सी से वाहन चालक रखने के अनुमोदन के संबंध में चर्चा। *(स्थापना विभाग)*
निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि रेक्सको से वाहन चालक उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में किसी निजी एजेन्सी से वाहन चालक नियुक्ति की कार्योत्तर स्वीकृति एवं विश्वविद्यालय में नियमित कार्मिक की नियुक्ति नहीं होने तक निजी एजेन्सी से वाहन चालक रखने के प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु संख्या 05: अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य एजेन्डा बिन्दु।
5.1 विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर जारी एवं प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्य के विश्वविद्यालय द्वारा विशेषज्ञ सुपरविजन हेतु चर्चा। *(विश्वविद्यालय संपदा एवं वित्त विभाग)*
निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के कटराथल परिसर पर जारी एवं प्रस्तावित निर्माण एवं विकास कार्य के विश्वविद्यालय द्वारा विशेषज्ञ सुपरविजन हेतु विश्वविद्यालय प्रबंध मण्डल, वित्त समिति एवं बिल्डिंग कमेटी के सदस्य प्रो. ए. के. गुप्ता, विभागाध्यक्ष, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग विभाग, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर को नियुक्त किया जाता है तथा उन्हें इस कार्य के प्रभावी निष्पादन के लिए अधिकतम दो की संख्या तक सहायक नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया जाता है तथा यह भी निर्णय लिया जाता है कि इनको विश्वविद्यालय नियमानुसार एवं प्रशासन द्वारा पूर्व मंजूरी के बाद मानदेय एवं यात्रा भत्ता दिया जायेगा।

5.2 **विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा कुलपति के उपयोग के लिए वाहन क्रय करने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा।***(विश्वविद्यालय संपदा एवं वित्त विभाग)*
निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय के कुलपति के उपयोग हेतु इनोवा अथवा समकक्ष अन्य एक वाहन डीजीएसएण्डडी दर पर विश्वविद्यालय की निजी आय से खरीदने का निर्णय किया जाता है।
नोटः 1. विश्वविद्यालय में वर्तमान में उपलब्ध वाहन का औसत ईंधन खर्च 6.7 से 7 कि.मी. प्रति लीटर है, जिससे वाहन पर होने वाला व्यय इतना अधिक है कि नया वाहन आर्थिक खर्च की दृष्टि से अधिक वायबल रहेगा।
2. यह कि विश्वविद्यालय में उपलब्ध कुलपति के वर्तमान वाहंन का पूर्व में भीषण एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें आगे का बोनट बदला गया है तथा ईंजन का काम पुनः करवाया गया है, अतः वाहन पर रिक्रिंग खर्चा अधिक आ रहा है।
3. यह कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय का परिसर एवं क्षेत्राधिकार के दोनों जिले एवं इन जिलों में आने वाले महाविद्यालयों में वाहन को प्रतिदिन रेतीली जमीन पर चलना पड़ता है एवं बड़े वाहन भी बालू मिट्टी में फंसते रहते हैं, अतः इनोवा अथवा इसके समक्ष वाहन खरीदने का निर्णय लिया गया है।
4. चूंकि यह वाहन विश्वविद्यालय की निजी आय से किया जाना स्वीकार किया गया है, अतः इस संदर्भ में राज्य सरकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है।

5.3 विश्वविद्यालय में उपलब्ध 40 करोड़ रूपये की एफ.डी. करवाने के संदर्भ में चर्चा। *(वित्त विभाग)*
संदर्भ नोटः 1. विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कुल अनुमानतः रू0 29.95 करोड. की एफ.डी. है एवं पंजाब एण्ड सिंध बैंक में अनुमानतः कुल रू0 43 करोड़ की एफ.डी. है। उक्त दोनों एफ.डी. लम्बी अवधि की हैं। (यह सूचना श्री लक्ष्मण राम, कैशियर द्वारा प्रदान की गई।)
2. विश्वविद्यालय के पास वर्तमान में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में उपलब्ध राशि में से अनुमानतः 40 करोड़ की एफ. डी. बनाना प्रस्तावित है।

3. एफ.डी. लम्बी अवधियों की भी हो सकती है एवं बचत/चालू खाते को भी एफ.डी. अकाउंट में परिवर्तित कर एफ.डी. का लाभ लिया जा सकता है।

4. विश्वविद्यालय के वर्तमान में कटराथल परिसर पर निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन है। प्रशासनिक भवन पर 26 करोड़ से ज्यादा का खर्च अनुमानित है, जिसमें से 12.50 करोड़ वर्तमान में राज्य सरकार से मिलना अपेक्षित है। शेष विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च किया जाना प्रस्तावित है, इसी प्रकार से लाइब्रेरी ब्लॉक के अनुमानतः 10.50 करोड़ रू. विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च किया जाना प्रस्तावित है एवं अनुमानतः 11.76 करोड़ रू. एकेडमिक एवं कॉनक्लेव ब्लॉक पर खर्च किये जाने प्रस्तावित हैं। कुलपति निवास के लिए भी अनुमानतः 1.5 करोड़ रू. विश्वविद्यालय की निजी आय से खर्च किया जाना प्रस्तावित है। ये खर्च एफ.डी. तुड़वाकर के ही खर्च किये जाने प्रस्तावित हैं। ऐसे में विश्वविद्यालय को यह तय करना है कि एफ.डी. का इनवेस्टमेन्ट लम्बी अवधियों की एफ.डी. में किया जाये या अकाउंट को एफ.डी. में परिवर्तित करके किया जाये।

5. वर्तमान में पंजाब एवं सिंध बैंक ने एफ.डी. के लिए 6.90 तथा बाद में वित्त नियंत्रक की सूचना अनुसार 7.0 प्रतिशत ब्याज देने का प्रस्ताव रखा है। बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने 6.70–6.88 प्रतिशत रखा है, जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें विश्वविद्यालय का अकाउंट है, ने 6.75 प्रतिशत का दिया है। अकाउंट के खाते को एफ.डी. में परिवर्तन करने पर ब्याज का प्रस्ताव लेना भी अपेक्षित है।

6. वर्तमान में बैंकों में एक साथ डिपोजिट के संदर्भ में सेफ्टी हेतु रिलायबिलिटी के मापदण्ड को ध्यान में रखना आवश्यक है।

निर्णयः सर्वानुमति से निर्णय लिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा 40 करोड़ रूपये की एफ.डी. करवाने के निर्णय, एफ.डी. का प्रकार, एफ.डी. की राशि, एफ.डी. की अवधियों, एफ.डी. की संख्या, एफ.डी. हेतु बैंक आदि के संदर्भ में एजेण्डा के संदर्भ नोट 1 से 6 को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ समिति की रचना करने का निर्णय लिया जाता है, जिसका गठन निम्नानुसार होगाः

1. डॉ. एम. एस. पूनिया, समन्वयक (विशेषज्ञ ई.ए.एफ.एम., प्राचार्य, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर)
2. डॉ. डी. एस. थालौड़, सदस्य एवं विधि विशेषज्ञ/प्रतिनिधि प्रबंध मण्डल
3. वित्त नियंत्रक, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।
4. सदस्य सचिव, कुलसचिव, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर।

नोटः समिति को अब तक अपना प्रतिवेदन गठन की तिथि से तीन दिवस की अवधि में देने के लिए निर्देशित किया जाता है।

कुलसचिव द्वारा मा. सदस्यों का आभार एवं धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक संपन्न हुई।

कुलपति

कुलसचिव